न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17/2022, जिला दौसा

1. रेवड सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा कला, तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा राज0।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सैंथल, तहसील दौसा जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.03.2022 पारित न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा राजस्व अपील संख्या 88/2019 एवं निर्णय दिनांक 26.12.2018 प्रकरण संख्या 445/2018 उप तहसीलदार सैंथल दौसा राज. उनवानी गिरवरसिंह बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित—

1. श्री सियाराम शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक —21.09.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 25.03.2022 के खिलाफ दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 26.12.2018 को ग्राम खोहरा कलां आ0 ख0 नं. 237 सिवायचक गैर मुमकिन पहाड के रकबा 0.12 है0 पर संवत 2075 में पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील शपथ पत्र के साथ सुनवाई हेतु यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2022 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट गलत व मौके के विपरीत है। जिस पर खसरा नम्बर 237 के रकबा 0.12 है0 पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया है, वह राजकीय भूमि नहीं है, बल्कि इस भूमि के लगती हुई अपीलांट की पटटाशुदा आबादी भूमि है। अपीलांट ने अपनी भूमि की पानी के बहाव से सुरक्षा करने हेतु एकतरफा दीवार का निर्माण किया गया है, ताकि पानी अपीलांट की आबादी भूमि व मकान में नहीं भरे। अपीलांट ने बरसाती पानी को रोकने

Scanned by CamScanner

के लिए दीवार का निर्माण किया है। प्रार्थी के द्वारा की गई दीवार भी अपीलांट ने स्वंय की भूमि में ही बनाई है। ग्राम पंचायत काली पहाडी ने विधिवत रूप से दिनांक 26.04.1988 को प्रार्थी को पट्टा दिया गया है। जिस पर अपीलांट ने मकानात का निर्माण कर रखा है तथा निवास कर रहा है। पटवारी हल्का ने अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के समक्ष कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही अपीलांट को सीमा समझाई गई। पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा अतिकमण की रिपोर्ट पेश की गई। अपीलांट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया गया है और ना ही पटवारी से जिरह का मौका दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सजा जैसे कठोर निर्णय से पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका नहीं देकर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया है जबकि अपीलांट ना तो उक्त तहसील कार्यालय सैंथल उपस्थित हुआ और ना ही अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता हो। अपीलांट ने केवल अपनी आबादी भूमि व मकानात की सुरक्षा के लिये व पहाडों से आने वाले तेज बहाव के बरसाती पानी से बचाव के लिये एकतरफा दीवार का निर्माण किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। बिना प्रदर्शित हुई रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। दीवार कतई सिवायचक गैर मुमकिन पहाड भूमि पर नहीं है। जिस पर धारा 91 की कार्यवाही कर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट अतिकमण की, की जिसमें आनन–फानन में वास्तविक भूमि जांच पडताल नाप जोख किये बगैर उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 26.12.2018 को आदेश पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रदान कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार सैंथल के आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध नियमानुसार मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने पटवारी हल्का द्वारा आयी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट को तथा उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित आदेश को तवज्जो देकर प्रार्थी अपीलान्ट की अपील आदेश दिनांक 25.03.2020 से खारिज कर दी। जिससे अपीलान्ट काफी दुःखी व प्रभावित व पीडित है तथा मानसिक वेदना में है। गलत रूप से प्रकिया अपनाकर प्रार्थी अपीलान्ट को सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया है वह समरली निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिचार नहीं कर रखा है। वास्तविकता में जो दीवार बनी हुई वह भूमि खसरा नम्बर 237 पर बनी हुई है। उस खसरा नम्बर से लगते हुयी भूमि खसरा नम्बर 239 में अपीलार्थी का पुख्ता आवासीय मकान बना हुआ है। बिना भूमि की नाप जोख करे वास्तविक स्थिति का पता लगाये बगैर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर दोनों न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है वह कतई गैर वाजिब है। निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2018 एवं जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 25.03.2022 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर 0.12 है0 पर पुख्ता बाउंड्री किये जाने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक कालीपहाडी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक कालीपहाडी की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर पुख्ता बाउण्ड्री कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वंय अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर

Scanned by CamScanner

निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की जांच उप तहसीलदार सैंथल से कराई गई, जिसके अनुसार ग्राम खोहरा कलां की आबादी भूमि खसरा नंबर 239 में अपीलांट रेवडसिंह द्वारा मकान बनाकर निवास करना व आबादी भूमि के लगता हुआ खसरा नम्बर 237 गैर मुमकिन पहाड स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा लगभग 0.12 है0 भूमि पर पक्की दीवार एवं तारबंदी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में ग्राम खोहरा कलां आराजी खसरा नम्बर 237 सिवाय चक गैर मुमकिन पहाड के रकबा 0.12 है0 पर संवत 2075 में पुख्ता बाउण्डी कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को दिनांक 21.12.2018 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पटवारी हल्का के भी बयान दर्ज किये गये हैं। पटवारी हल्का ने अपने बयान में यह कथन किया है कि अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया। इसके बावजूद उक्त ने पुनः आराजी नं. पर अतिचार किया है। यह पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा शपथ पत्र पेश करने पर शपथ पत्र की जांच तहसीलदार सैंथल करवाई गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 237 गै0 मु0 पहाड रकबा 0.12 है0 भूमि पर पक्की दीवार एवं तारबंदी की हुई होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा सिवाय चक गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2022 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 25.03.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner